21.07.2023

पत्रावली पैश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर इस मौजूदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी आराजीयात, में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रार्थी पक्ष के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। नवीन प्रा०पत्र लाने का अधिकार भी न्यायालय प्रदत्त करता है

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।